

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम- 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी / वादीगण	बनाम	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
1 ओमाराम पुत्र स्व. भीमाराम जाति भील निवासी अर्जियाणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (7)		1 चौथाराम पुत्र ताराराम जाति भील निवासी अर्जियाणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (7) 8 शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सिवाना 9 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा.....धारा 53 RT Act.

मुकदमा नंबर:-128 / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.09.2025	<p>वादी ओमाराम वगैरह की ओर से वकील श्री पूनमचंद रामदेव ने यह वाद पत्र प्रतिवादी चौथाराम वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना</p>	
17.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपासित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादग्रस्त श्रेणी को लेकर उभय पक्ष के प्रत्येक लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः नया वाद प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए वाद जारी रखे विज्ञे खारिज करमावे।</p> <p>हमने वादी वकील तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को नया वाद प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद जारी रखे विज्ञे खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली : कुल श्रुमार घेकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना</p>	

